ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं0–1, सैक्टर नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद– गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रॉकः स्वा0वि0 / 2019 / 779 दिनॉक 05 / 11 / 2019

कार्यालय आदेश

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 के अन्तर्गत एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विकेन्द्रीत कचरा प्रबंधन नीति के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु समस्त बल्क वेस्ट जनरेटरों (ब.व.ज.) को 15 सितम्बर 2019 तक अपने ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके उपरान्त कुछ बल्क वेस्ट जनरेटरों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है, परन्तु साथ ही साथ कुछ बल्क वेस्ट जनरेटरों द्वारा अभी तक यह कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

ऐसे समस्त बल्क वेस्ट जनरेटरों के ठोस अपशिष्ट उठान एवं परिवहन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30.10.2019 को निम्न दरों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

Total Tractor Transportation Cost Rs. 7000/Trip

- For first 30 days the above cost will be applicable
- For next 30 days the cost will be doubled
- Onward 3 times of the above cost will be applicable

उपरोक्त दरों के साथ बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा A/C No.- 50100310065601, A/c Name- GNIDA COLL ACCOUNT, IFS Code: HDFC0000278 में जमा करायी जायेगी ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटरों से एक शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) भी लिया जायेगा जिसमें उनके द्वारा एक माह के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रारम्भ करने की घोषणा की जायेगी।

यदि नियत तिथि के उपरान्त भी उनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो उनके ठोस अपशिष्ट उठान एवं परिवहन की धनराशि उपरोक्तानुसार तथा अर्थदण्ड की धनराशि नियमानुसार वसूल की जायेगी।

इसके उपरान्त भी यदि किसी बल्क वेस्ट जनरेटर का ठोस अपशिष्ट बिना निर्धारित चार्ज जमा कराये उठा पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक की होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(एस.सी. अरोड़ा)
उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

प्रतिलिपिः

- स्टाफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष कार्याधिकारी (एस.एस.) महोदय को सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (वित्त / स्वास्थ्य) महोदय को सूचनार्थ।
- उप महाप्रबन्धक (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि वित्त विभाग में SWM Rule-2016 मद खोले जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहें।
- वरिष्ठ प्रबन्धक / प्रबन्धक–।। (स्वास्थ्य) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

श्रीमान, दिनाँक :

वरि० प्रबंधक - स्वास्थ्य,
ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
भूखंड सं० -१, सेक्टर नॉलेज पार्क -४, ग्रेटर नॉएडा
जनपद - गौतमबुद्ध नगर (उ ० प्र ०)

विषय : ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु प्रार्थना -पत्र

विदित है कि ग्रेटर नॉएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, प्राधिकरण की विकेन्द्रीकृत ठोस- अपशिष्ट प्रबंधन नीति के तहत कियान्वित किया जा रहा है, जिसके अनुपालन हेतु समस्त बल्क वेस्ट उत्सर्जकों को स्वयं अपने ही परिसर में अपने कूड़े का निस्तारन उचित ढंग से (पृथीकरण विधि) से किये जाते हुए, केवल निष्क्रिय-अपशिष्ठ (इनर्ट) को ही प्राधिकरण को दिया जायेगा |

उपरोक्त की अनुपालना के क्रम में , प्रार्थी द्वारा आवश्यक कार्यवाही (जैसे : ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली का खरीद एवं ठोस अपशिष्ठ - प्रबंधन सेवा प्रदाता से अनुबंध इत्यादि) किया जा चुका है, जिसे कि तीस दिन के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा |

प्रार्थी प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं ० स्वा ० वि ०/2019 /779 , दिनांक 05 . 11 . 2019 के अनुसार व्यय वहन करने हेतु सहमत है |

अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी के प्रांगण से ठोस-अपशिष्ठ का संग्रहण व निष्तारन करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसके क्रम में संस्था, प्राधिकरण द्वारा तय प्रोत्साहन शुल्क को प्राधिकरण-प्रदत्त खाते में जमा करवाती है |

- प्रार्थी का नाम : ....
- प्रांगण (जहाँ से कूड़ा उठाया जाना है) का पता ....
- मोबाईल /दूरभाष संख्या : ....
- अनुमानित ठोस अपशिष्ठ की मात्रा (ट्रिप की संख्या (ट्रेक्टर -ट्रॉली)) ....
- राशि रु ०। चैक /डिमांड ड्राफ्ट सं० .... दिनांक ....

सधन्यवाद !

हस्ताक्षर (प्रार्थी)
पता :
मोबाइल संख्या :

(रू0 10/— नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ पत्र

बल्क वेस्ट जनरेटर का नामः—

बल्क वेस्ट जनरेटर का पताः—

बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणीः—

मै/हम यह शपथ लेता हूँ/लेते हैं कि हमारी इकाई के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम—2016 के अन्तर्गत एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विकेन्द्रीत कचरा प्रबंधन नीति के अनुपालन में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्यवाही आगामी 30 दिनों के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

मेरी/हमारी इकाई तब तक प्राधिकरण के द्वारा अपशिष्ट उठाये जाने हेतु अनुरोध करती है एवं इसके उठान एवं परिवहन में आने वाला व्यय रू0 7000/— प्रति चक्कर (ट्रिप) का वहन करेगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी अंतिम तिथि के उपरान्त भी अभी तक मेरी/हमारी इकाई/परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन प्रारम्भ न हो पाने के कारण प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश सं0: मु0क0पा0अ0/2019/630, दिनांक 18.09.2019 द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड देने हेतु सहमत हूँ/हैं।

यदि 30 दिनों के अन्दर भी मेरी/हमारी इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नियमानुसार अर्थदण्ड की धनराशि पुनः आरोपित कर सकता है।

उक्त सभी शर्तों के साथ मैं/हम आग्रह करते हैं कि प्राधिकरण हमारे यहॉ से अपशिष्ट उठाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दे।

मालिक/अध्यक्ष/प्रबंधक/सचिव के हस्ताक्षर

मालिक/अध्यक्ष/प्रबंधक/सचिव का नामः—

दिनांकः

मो0नं0—

ई—मेल आई.डी.—